

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक— 2020 / FP/UK/ROAD/48385/2020 : देहरादून: दिनांक: 1 जनवरी, 2021
सेवा में,

वन महानिरीक्षक एफ0सी0,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कमरा नं0—A-361 IIIrd floor,
अग्नी ब्लॉक, इन्दिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली, पिन—110003.

विषय:— जनपद पौड़ी गढ़वाल में कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौ रेंज के पाखरौ क0स0—3 एवं 8 में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु 106.16 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु कार्बेट टाइगर रिजर्व को सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या 8-12/2020-एफ0सी0 दिनांक 30-10-2020।

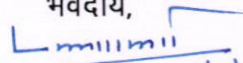
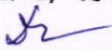
महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग, लैन्सडौन की पत्र संख्या-1157/12-1 दिनांक 27-01-2021 के द्वारा कतिपय सूचनायें इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

1. भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी।
2. NTCA व CZA द्वारा टाइगर सफारी की स्थापना हेतु वैधानिक स्वीकृति निर्गत करने के समय अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
3. टाइगर सफारी में आधारभूत संरचना में बांस एवं अन्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जायेगा।
4. टाइगर सफारी की स्थापना हेतु गैर वानिकी कार्यों के लिये अनुमन्य भूमि 16.00 है0 के बदले 16.00 है0 क्षेत्र ग्राम जुवा, पटटी—सीला.4, तहसील—कोटद्वार के अन्तर्गत श्रेणी—9(3) ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि खाता संख्या—28/79 कुल रक्वा 20.349 है0 भूमि में से 16.00 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0—49.56 लाख की धनराशि जमा कर दी गई है। वृक्षारोपण में स्थानीय देशी प्रजातियों का रोपण किया जायेगा तथा एकल प्रजाति के रोपण को परिवर्जित किया जायेगा।
5. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण/अमलदरामद वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक—1)
6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों की अवधि के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जा चुकी है।
 - a. गैर-वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित 16.00 है0 वन भूमि के सापेक्ष NPV एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0—199.80 लाख RTGS के माध्यम से भारत सरकार के उपक्रम Corporation Bank Branch, Block-11 CGO Complex Phase-1 New Delhi 110003 के खाता संख्या 1508919948385795 में जमा की जा चुकी है। RTGS चालान की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक—2)
 - b. भविष्य में यदि प्रत्यावर्तित वन भूमि के सापेक्ष NPV की धनराशि में वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त धनराशि जमा कर दी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक—3)
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पेड़ों के कटान पर होने वाले व्यय को, यदि वन विकास निगम मांग करता है, तो प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कर दिया जायेगा।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की रेख-देख में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु न्यूनतम वृक्षों का कटान जिसकी संख्या प्रस्ताव में उल्लिखित ऑनलाइन वृक्षों की संख्या 163 से कम होगी किया जायेगा।
9. टाइगर सफारी की स्थापना हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि परिवेश ई-पोर्टल (parivesh.nic.in) के माध्यम से Generated चालान द्वारा कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। जमा धनराशि के चालान की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-2 के अनुसार)
10. वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
11. प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन आख्या ई-पोर्टल parivesh.nic.in पर अपलोड कर दी गयी है।

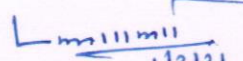
अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

 (डी०जे०के० शर्मा) 11/2/21
 प्रमुख वन संरक्षक
 कार्या०-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
 नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।


संख्या-2020 / FP/UK/ROAD/48385/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर, (नैनीताल)।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग, लैन्सडौन।


 (डी०जे०के० शर्मा)
 प्रमुख वन संरक्षक
 कार्या०-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
 नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।
